

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) सुलेन्द्र कुमार गंडू पिता- श्री दिवाली गंडू; 2.) रजोइया देवी पति- श्री सरहूल गंडू; 3.) सागर कुमार पिता- श्री मकरू गंडू; 4.) सुनैना कुमारी पिता- श्री त्रिवेणी प्रसाद; ग्राम: चमातु, थाना: बालुमाथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) को सी.बी.ए. 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातु, थाना सं० 56 (रैयती भूमि) खाता सं० - 26, के अधीन प्लॉट सं०-1430; खाता सं० -151, के अधीन प्लॉट सं०-87, 124, 139, 184, 185, 400, 401, 402, 375, 1396, 1407, 1412, 1410, 1426, 1456, 1484, 1488, 1491, 1401, 2175; खाता सं० - 129, के अधीन प्लॉट सं०-301; खाता सं० - 106, के अधीन प्लॉट सं०-408, 418, 428, 429, 1453; कुल रकबा: - 8.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट <http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti empl Ind.php> पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (मगध-संघमित्रा), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर पंद्रह दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

सि.सी.ए.
20/10/2023

[Signature]
20/10/2023